

पशु प्रजनन तथा पशु विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की
आदर्श उपविधियां

1—नाम

1—इस समिति का नाम-----पशु प्रजनन तथा पशु विक्रय
सहकारी समिति लिमिटेड होगा और उसका रजिस्टर्ड पता, गांव-----
डाकखाना-----तहसील-----जिला----- होगा।

2—परिभाषाएं

2—इन उपविधियों में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल
न हो—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम
1965 (उ० प्र० अधिनियम सं० 11, 1966) से है तथा वह जैसा समय-
समय पर संशोधित किया गया हो।

(ख) 'नियम' का तात्पर्य अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों तथा
उनमें समय-समय पर हुए संशोधनों से है।

(ग) 'उपविधि' का तात्पर्य इस समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित
उपविधियों से है जिनमें यथाविधि किये गये परवर्ती संशोधन भी
सम्मिलित होंगे।

(घ) 'प्रबन्ध कमेटी' का तात्पर्य समिति की प्रबन्ध कमेटी से है जिसे
अधिनियम की धारा 29 के अधीन समिति के प्रबन्ध का कार्य सौंपा गया
हो।

(ङ) 'सचिव' का तात्पर्य समिति के सचिव से है जिसकी नियुक्ति
अधिनियम की धारा 31 के अधीन हुई हो।

(च) 'निबन्धक' का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन
सहकारी समिति निबन्धक (रजिस्ट्रार) के रूप में तत्समय नियुक्त व्यक्ति
से है तथा इसके अन्तर्गत उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त
ऐसा व्यक्ति भी है जो निबन्धक के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग
करें।

3—उद्देश्य

3— (क) मुख्य—इस समिति का उद्देश्य सदस्यों में पैसा बचाने, एक दूसरे
की सहायता करने की भावना को बढ़ावा देना तथा मेम्बरों की आर्थिक दशा में
सुधार करना है विशेष कर:—

(1) सदस्यों में उन्नत जातियों के शुद्ध पशु रखने की आवृत्त को बढ़ावा
देना।

- (2) सदस्यों के पशुओं का सुधार करने के लिये उन्नत जाति के शुद्ध वंशीय सांड दिलाने का प्रयत्न करना ।
- (3) सदस्यों के सभी अनावश्यक "नर संतति" को बधिया करने का प्रबन्ध करना ।
- (4) पशु प्रजनन तथा पशु बिक्री सम्बन्धी सूचना को सदस्यों तक पहुंचाना ।
- (5) पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से सदस्यों को पशुओं के गोबर से कम्पोस्ट खाद बनाने तथा अतिरिक्त चारे को विभिन्न ढंग से 'साइलेज' तथा 'हे' आदि बनाने का प्रशिक्षण देना ।
- (6) न्यूनतम मूल्य पर चारा, खली आदि और शोध बनाने का सामान खरीदना ।
- (7) उपयुक्त चरागाहों तथा हरे चारे की खेती का प्रबन्ध करना ।
- (8) सभी पशुओं के लिये प्राथमिक चिकित्सा, डाक्टरों सहायता तथा टीके का प्रबन्ध करना ।
- (9) सदस्यों के "नर तथा मादा संतति" को उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध करना ।
- (10) पशुओं के वैज्ञानिक आहार, देखभाल तथा प्रबन्ध के विषय में सदस्यों को आवश्यक सूचना देना ।
- (11) समिति के पशुओं की वंशावली तथा दुग्ध उत्पादन का रिकार्ड रखना ।
- (12) पशु हाट तथा मेले संगठित करना और पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना ।
- (13) सदस्यों को पशु शव का उपयोग करने में बढ़ावा देना तथा इसके लिये उचित प्रबन्ध करना ।
- (14) समिति को उचित ढंग से चलाने हेतु आवश्यक पूंजी जुटाना ।
- (15) वैज्ञानिक ढंग की पशुशालाओं के निर्माण हेतु भूमि एवं भवन आदि की व्यवस्था करना ।
- (ख) गौण (1)—दुधारू पशुओं के दूध तथा दूध से बने पदार्थों की बिक्री का प्रबन्ध करना ।
- (2) सदस्यों में मितव्ययिता, सदाचार एवं सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना ।
- (3) सदस्यों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करके उनके वितरण की व्यवस्था करना ।

- (4) सदस्यों को पशुपालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना ।
- (5) उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य ऐसे कार्य करना जिनके द्वारा पशुपालन एवं पशु सुधार को प्रोत्साहन मिले ।

कार्य क्षेत्र

4—इस समिति का कार्यक्षेत्र-----जिले के-----गांव तक ही सीमित रहेगा ।

सदस्यता

5—समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- (क) साधारण सदस्य ।
(ख) नाम मात्र सदस्य ।
(ग) सम्बद्ध सदस्य ।

(क) साधारण सदस्य (i)—कोई भी व्यक्ति, जिसका चाल चलन अच्छा हो, होश-हवाश ठीक हो, 18 वर्ष से अधिक आयु का हो और समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो या जमीन जोतता हो तथा पशुपालन एवं पशुओं के क्रय-विक्रय का धंधा करता हो तथा अधिनियम एवं नियमों के अधीन सदस्यता के लिये अर्ह हो, समिति का साधारण सदस्य बन सकता है ।

(ii) राज्य सरकार भी समिति की साधारण सदस्य बनायी जा सकती है, यदि वह समिति द्वारा निदिष्ट उतने श्रंश क्रय करने को तैयार हो जितने राज्य सरकार और समिति के संचालक मण्डल के मध्य तय हों । राज्य सरकार को अपने श्रंशों का मूल्य एकमुश्त जमा करना होगा ।

(ख) नाम मात्र सदस्य—वह व्यक्ति जिसके साथ समिति कारोबार करती हो या करने का विचार रखती हो, नाम मात्र सदस्य बनाया जा सकता है । नाम-मात्र सदस्य को समिति के लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार न होगा और न उसे मतदान का अधिकार होगा । वह संचालक मण्डल की सदस्यता के लिए भी पात्र न होगा ।

(ग) सम्बद्ध सदस्य—कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत अवयस्क भी है, जो समिति के कारोबार में मौसमी या अस्थायी कर्मचारी अथवा शिक्षु हो या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखता हो, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है । सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा ।

6—प्रारम्भिक सदस्य वे होंगे जो समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र पर स्तम्भर करेंगे । इसके पश्चात् प्रबन्ध कमेटी की स्वीकृति से उन व्यक्तियों

में से सदस्य बनाये जा सकते हैं जो उपविधि 5 के अनुसार सदस्यता की आवश्यक अर्हताएं रखते हैं। प्रबन्ध कर्मों द्वारा किसी व्यक्ति को सदस्य बनाने से इन्कार करने पर उस व्यक्ति को निर्णय होने की तिथि से सात दिन के भीतर कारण बतात हुए संसूचित करना होगा जिसके विरुद्ध संसूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर निबन्धक को अपील की जा सकती।

7—सदस्य बनने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश शुल्क के रूप में एक रुपया देना होगा जो वापस नहीं होगा।

8—(क) समिति की सदस्यता के लिये स्वीकृति किये जाने के पूर्व प्रत्येक सदस्य इस आशय के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि वह समिति की वर्तमान उप-विधियों और उसके किसी संशोधन को मानने के लिये बाध्य होगा। ऐसा घोषणा-पत्र दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित होगा।

(ख) प्रारम्भिक सदस्यों से भी समिति के निबन्धन के एक माह के अन्दर ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। ऐसा न करने की अवस्था में वे नियम 56 के अधीन समिति की सदस्यता से निकाल दिये जाने के भागी होंगे।

9—कोई सदस्य, सदस्यता के अधिकारों का उस समय तक उपयोग नहीं कर सकता है जब तक उसने उपविधि के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिये हों, अपना प्रवेश शुल्क न दे दिया हो तथा खरीदे गये हिस्सों अथवा हिस्से की पहली किस्त न अदा कर दी हो।

10—नियमों की व्यवस्था के अनुसार कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है जिसे, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, समिति की पूंजी में उसका हिस्सा या हित संक्रमित किया जायेगा, अथवा उसके मृत्यु का या समिति द्वारा उसे देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान किया जायगा। ऐसा सदस्य ऐसे नाम निदर्शन को समय-समय पर विद्युत्पत्र कर सकता है या बदल सकता है।

11—कोई भी सदस्य भर्ती की तारीख से एक वर्ष के भीतर समिति से त्यागपत्र नहीं दे सकता। ऐसी अवधि बीतने के बाद यदि वह समिति का ऋणी न हो या किसी अदत्त ऋण का प्रतिभूत न हो, समिति को कम से कम एक मास का नोटिस देने की बाद समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। सदस्यता छोड़ देने की नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी। इस तरह सदस्यता समाप्त होने पर सदस्य उन दायित्वों से मुक्त नहीं समझा जायगा जो उसने इन उपविधियों के अनुसार लिये हों।

12—(क) अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित रीति से किसी भी सदस्य को सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि—

(1) वह समिति का लगातार बकायादार हो,

(2) वह अर्हताओं की पूर्ति न करता हो, या उसने अधिनियम, नियमों अथवा इन उपविधियों के अधीन व्यवस्थित अनर्हता अर्जित कर ली हो,

(3) वह विकृत चित्त का हो जाय,

(4) वह समिति से लिये हुए ऋण का उपयोग उस उद्देश्य की पूर्ति में नहीं करता जिसके लिये उसने ऋण लिया है।

(5) वह अपने निजी उपयोग के अतिरिक्त वायदे के अनुसार उत्पादन की मात्रा जानबूझ कर समिति को न दे या दूसरे को बिना प्रबन्ध कमेटी की अनुमति के बेच देवे,

(6) वह उत्पादन में मिलावट करे।

(ख) अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित रीति से किसी सदस्य को सदस्यता से निकाला जा सकता है:—

(1) यदि उसने समिति को उपविधियों का उल्लंघन करके समिति के हित को हानि पहुंचाई हों,

(2) यदि उसने इन उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई गलत घोषणा की हो या किसी सार्वजनिक सूचना को दबाया हो जिसके कारण उसे अनुचित लाभ हुआ हो अथवा उससे समिति को आर्थिक या वित्तीय हानि अथवा अन्य कठिनाइयां हुई हों।

(ग) खण्ड 'क' तथा 'ख' के अन्तर्गत हटाये अथवा निकाले गये सदस्य की निर्णय की सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर नियमों में निर्धारित रीति से अपील करने का अधिकार होगा।

(घ) हटाये अथवा निकाले गये सदस्य पर यदि समिति का ऋण अथवा और कोई रुपया निकलता हो तो समिति वह सब रुपया एक ही बार में वसूल कर सकती है।

13—कोई व्यक्ति जो इस समिति की सदस्यता से हटाया अथवा निकाला गया हो, हटाये अथवा निकाले जाने के आदेश के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर, समिति में पुनः सदस्य न हो सकेगा और वह फिर से सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर समिति के अधीन कोई पद ग्रहण करने अथवा प्रबन्ध कमेटी में निर्वाचन के लिये खड़े होने का भी पात्र नहीं होगा।

14—समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने, हटा देने अथवा निकाल दिये जाने तथा मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप सदस्यता समाप्त होने की दशा में किसी सदस्य के हिस्से का धन सम्बन्धित सदस्य अथवा मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति वायात अथवा विधिक प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं किया जायगा

जब तक कि समिति का वह सभी ऋण जो सदस्य द्वारा स्वयं देना है अथवा किसी अन्य सदस्य के जामिन की हैसियत से देना है, चुका नहीं दिया जाता और अधिनियम की धारा 25 के अनुसार निर्धारित दो साल की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती। समिति को ऐसे हिस्से की धनराशि पर उस तिथि तक ब्याज देना होगा जो कि उसने रुपया वापस करने के लिये निश्चित की हो। इस ब्याज की दर उस लाभांश की दर से अधिक न होगी जो समिति ने पिछली बार दिया हो।

दायित्व

15-- प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व उसके अभिवृत्त हिस्सों के मूल्य के पांच गुने तक सीमित होगा।

पूंजी

16-- समिति की पूंजी निम्नलिखित में से एक या सभी साधनों से प्राप्त की जा सकती है:-

- (अ) प्रवेश शुल्क।
- (ब) कर्ज पर प्राप्त धन या जमा किया धन।
- (स) हिस्सों से प्राप्त धन।
- (द) दान से प्राप्त धन।
- (इ) विशेष चन्दे।
- (फ) रक्षित तथा अन्य कोष।

शेयर (हिस्से)

17-- (अ) समिति की पूंजी अनिर्धारित संख्या के हिस्सों से बनेगी। प्रत्येक हिस्से का मूल्य 10 रुपये होगा। इसमें से 5 रुपये प्रार्थना-पत्र के साथ दिये जायेंगे और बाकी रुपये पांच माहवारी किस्तों में अदा करने होंगे।

(ब) हर सदस्य कम से कम एक हिस्सा खरीदेगा। इसके अतिरिक्त सदस्य को उतने हिस्से और खरीदने होंगे जिन्हें प्रबन्ध कमेटी उस सदस्य के लिये निर्धारित करेगी। कोई भी सदस्य हिस्से की पूंजी के 1/10 भाग अथवा 5,000 रुपया, जो भी कम हो, से अधिक मूल्य के हिस्से नहीं खरीद सकता है।

(स) हिस्से के प्रमाण-पत्र पर समिति की सील होगी और उस पर समिति के सचिव तथा प्रबन्ध कमेटी के एक सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे। यह प्रमाण-पत्र तब दिया जायगा जब हिस्से की सारी रकम अदा कर दी गई हो।

(द) अगर यह प्रमाण-पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो इसकी प्रतिलिपि 50 नया पैसे देकर प्राप्त की जा सकती है।

18-- अगर कोई सदस्य हिस्से की रकम की किस्त 3 माह से अधिक समय तक नहीं देता है तो प्रबन्ध कमेटी नोटिस देकर उन हिस्सों तथा उन पर दिये गये धन को जब्त कर सकती है और उस व्यक्ति की इन हिस्सों के कारण प्राप्त सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे जब्त किये गये हिस्सों को जब्त करने की तिथि से 6 माह के भीतर बकाया रकम अदा करके और प्रति हिस्से पर 1 रुपया नवीनीकरण फीस देकर फिर चालू किया जा सकता है। जब्त किये गये हिस्सों का धन रक्षित कोष में डाल दिया जायगा।

19-- कोई भी सदस्य अपने हिस्से या हिस्सों को प्रबन्ध कमेटी द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों तथा सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता है। जो सदस्य अपने हिस्सों को दूसरे को देना चाहता है वह इस बात की सूचना समिति को देगा जो उसे ऐसे मामलों में सहायता करेगी।

20-- समिति की पूंजी का उपयोग उसके उद्देश्यों की पूर्ति में किया जायगा। पूंजी का यह भाग जिसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं पड़ सकती है अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अनुसार लगाया अथवा जमा किया जायेगा।

अधिकतम दायित्व

21-- (अ) समिति का अधिकतम दायित्व उसकी वार्षिक सामान्य बैठक में निश्चित किया जायगा जो, बिना निबन्धक की विशेष स्वीकृति के उसकी निजी पूंजी के दस गुने से अधिक न होगा।

(ब) वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित अधिकतम दायित्व यदि समिति किसी केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध हो और उसकी ऋणी हो तो उस केन्द्रीय समिति के अनुमोदन क अधीन होगा और, यदि समिति किसी केन्द्रीय समिति से सम्बद्ध न हो अथवा, यदि सम्बद्ध हो किन्तु उसकी ऋणी न हो, तो निबन्धक के अनुमोदन क अधीन होगा।

ऋण और अमानतें

22-- वार्षिक सामान्य बैठक द्वारा निश्चित अधिकतम दायित्व के अधीन रहते हुए समिति ऐसी शर्तों पर जो प्रबन्ध कमेटी निश्चित करे, ऋण तथा अमानतें ले सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ऋणों अथवा अमानतों पर ब्याज की दर उस ब्याज दर से अधिक न होगी जिस ब्याज पर सहकारी समितियों को वित्त पोषक सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है।

अनिवार्य चन्दा

23-- समिति क व्यापार में घाटे की दशा में सामान्य निकाय सदस्यों से अनिवार्य चन्दा ल सकती है, जो बिना निबन्धक की विशेष अनुमति के निम्न दर से अधिक न होगा:-

(अ) सदस्यों को दिये जाने वाले सेहताने पर-----प्रति रुपया।

(ब) सदस्यों को दिये जाने वाले बोनस का—प्रतिशत ।

24—समिति अपनी पूंजी को—

(अ) सरकारी सेविंग्स बैंक में, या

(ब) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 की धारा 20 में दी गई सिक्योरिटीज में, या

(स) निबन्धक द्वारा स्वीकृत रजिस्टर्ड समितियों के हिस्सों अथवा अमानतों में ।

(द) किसी बैंक में या किसी व्यक्ति के पास जो बैंकिंग का व्यापार करता है और निबन्धक द्वारा स्वीकृत हो ।

(इ) अधिनियम तथा नियमों में दिये गये किसी अन्य ढंग से, लगा सकती है ।

25—अधिनियम की धारा 59 में दी गई व्यवस्था तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा आदेशों के अनुसार समिति का रुपया निबन्धक द्वारा स्वीकृत बैंक में चालू खाते (करेंट एकाउन्ट) में जमा किया जा सकता है । यह रुपया सचिव और सभापति या प्रबन्धकमेटी के किसी अन्य सदस्य जिसे सचिव या सभापति को अनुपस्थिति में हस्ताक्षर करने का अधिकार हो, किसी भी बोक हस्ताक्षर से चेक द्वारा निकाला जा सकता है ।

संगठन तथा प्रबन्ध

26—समिति का प्रबन्ध निम्नलिखित में निहित होगा:—

(अ) सामान्य निकाय,

(ब) प्रबन्धकमेटी,

(स) सुपरवाइजरी समिति, यदि हो,

(द) सभापति,

(इ) सचिव ।

सामान्य निकाय

27—समिति का अन्तिम प्राधिकार सामान्य निकाय में निहित होगा जो सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि समिति में सदस्यों की संख्या 25.0 से अधिक हो तो प्रबन्धकमेटी समिति के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र को निबन्धक की पूर्ण अनुमति से उत्तम आसन्नवर्ती चुनाव क्षेत्रों में विभाजित करेगी जितने वह आवश्यक समझे । प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से प्रत्येक हिस्सेदारों अथवा उसके किसी अंश पर सामान्य निकाय के लिए एक प्रतिनिधि चुना जायगा । ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि सामान्य निकाय में समिति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे । इन

प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र किन्तु वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस जारी करने के एक सप्ताह पूर्व तक सम्पन्न करा लिया जायगा । इनके प्रतिनिधियों के चुन जाने पर पुराने प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व स्वतः समाप्त हो जायगा ।

28—सामान्य निकाय की बैठकें निम्न प्रकार आयोजित की जायेंगी:—

(1) साधारण सामान्य बैठक—प्रबन्धकमेटी समिति के कार्य सम्पादन के लिये जब आवश्यक हो परन्तु वर्ष में कम से कम चार बार अर्थात् प्रत्येक तीन माह में सामान्य निकाय की बैठक बुलायेगी जिसे साधारण सामान्य बैठक कहा जायगा ।

(2) वार्षिक सामान्य बैठक—प्रत्येक वर्ष विवरणियां प्रस्तुत किये जाने और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु 30 नवम्बर तक अथवा नियम 90 के अधीन निबन्धक द्वारा बड़ाई गई अवधि के भीतर चाहे लेखा-परीक्षण किया गया हो या नहीं, समिति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगी । अधिनियम की धारा 32 (2) के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए प्रबन्धकमेटी वार्षिक बैठक की तिथि तथा स्थान निश्चित करेगी:—

(क) प्रबन्धकमेटी द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किये गये समिति के कार्य कलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन,

(ख) उपविधि सं० 36 तथा सं० 42 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धकमेटी के सदस्यों तथा सभापति व उप-सभापति (जो प्रबन्धकमेटी के सदस्यों में से चुने जायेंगे) का निर्वाचन, यदि कोई होना हो,

(ग) गत वर्ष के रोकड़-पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर (यदि लेखा-परीक्षण पूरी हो गई हो) विचार,

(घ) गत वर्ष के लेखा-परीक्षा प्रमाण-पत्र और लेखा-परीक्षाप्रतिवेदन पर, यदि लेखा-परीक्षा पूरी हो गई हो, नियम रीति से विचार,

(ङ) नियमों में की गई व्यवस्था के अद्यतन रहते हुए आगामी वर्ष के लिये समिति का अधिकतम वार्षिक निश्चित करना ।

(च) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के अनुसार शुद्ध लाभ का निस्तारण,

(छ) आगामी वर्ष के बजट पर विचार,

(ज) किसी ऐसे अन्य विषय पर विचार जो प्रबन्धकमेटी आवश्यक समझे ।

3-असाधारण सामान्य बैठक--निबन्धक अथवा समिति के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर प्रबन्ध कमेटी एक मास के भीतर असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी। प्रबन्ध कमेटी के उपर्युक्त बैठक न बुलाने पर निबन्धक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान तथा समय पर जिसका वह निर्देश दे, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक को वं सभी अधिकार होंगे। नियमों के अधीन होगी जो इन उपविधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक को हैं, किन्तु इस प्रकार बुलाई गई बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनका उल्लेख अधियाचन में किया गया हो।

29--अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों की व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए सामान्य निकाय के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:--

- (1) निबन्धक या उनके अधीन किसी अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारियों तथा केन्द्रीय समिति के निरीक्षणों पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रस्तुत सुझावों के साथ विचार करना।
- (2) नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार सभापति या उप सभापति के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करना।
- (3) पिछली बैठक की तिथि से समिति की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करना।
- (4) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक विनियम बनाना।
- (5) जीवन सुधार का काम चलाने तथा किसी अन्य कार्य के लिये जो चन्दा वसूल होगा उसकी दर तथा विधि निश्चित करना।
- (6) उपविधियों में संशोधन करना।
- (7) ऐसे तावान की दर निश्चित करना जो बिना पर्याप्त कारण के सामान्य निकाय की बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से लिया जायगा।
- (8) उपविधि 28 (2) के सभी कार्य करना।
- (9) अधिनियम, नियमों तथा इन उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के निर्णयों की अपील सुनना।
- (10) सदस्यों की ऋण सीमा निर्धारित करना।
- (11) ऐसे अन्य आवश्यक निर्णय जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे, पर विचार।
- (12) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के लिये भत्ता सम्बन्धी नियम (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के अध्याय 27 के नियमों को दृष्टि में रखते हुए) बनाना।

30--सिवाय नियम 25 की व्यवस्था के, सामान्य निकाय की बैठकें बुलाने के लिये साधारणतया सात दिन की नोटिस दी जायगी, किन्तु ऐसी बैठक, जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो अथवा समिति के विभाजन या सामान्य निकाय का विषय विचारणीय हो, के लिए कम से कम 15 दिन की नोटिस देना आवश्यक होना।

31-(अ) सामान्य निकाय का कोई सदस्य यदि साधारण सामान्य बैठक में प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह प्रस्ताव लिखित रूप में सचिव को बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व दे दे। विशेष अवस्था में सभापति इससे कम अवधि की नोटिस की भी स्वीकृति दे सकता है।

(ब) निम्नलिखित विषयों पर पहले से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है:--

- (1) कार्यावली के कार्यों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव।
- (2) बैठक स्थगित करने या उसे समाप्त करने का प्रस्ताव।
- (3) बैठक से कार्यावली के नये विषय पर विचार करने का प्रस्ताव।
- (4) विचाराधीन विषय को बहस, निर्णय या रिपोर्ट के लिये प्रबन्ध कमेटी को विचारार्थ भेजने का प्रस्ताव।
- (5) ऐसा प्रस्ताव कि बैठक अपने को कमेटी या कमेटियों में विभाजित कर दे।
- (6) बैठक के सामने किसी विषय पर विचार करने या रिपोर्ट देने के लिये कमेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव।
- (7) इस बात का प्रस्ताव कि विषय पर वोट ले लिये जायें।
- (8) इस बात का प्रस्ताव कि बैठक उस विषय पर विचार करे जो प्रबन्ध कमेटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो,
- (9) उपस्थित सदस्यों में से 2-3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित विषय पर विचार करने का प्रस्ताव।

32-(अ) सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिये आवश्यक गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से होगी किन्तु यदि गणपूर्ति के अभाव में कोई बैठक स्थगित कर दी जाय तो स्थगित बैठक की गणपूर्ति सिवाय नियम 26 या नियम 97 में अन्यथा की गई व्यवस्था के, मूल गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या की आधी होगी।

(ब) सामान्य निकाय के सदस्यों के अधियाचन पर बुलाई गई बैठक में यदि निश्चित समय के एक घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो, तो वह बैठक विघटित हो जायगी। अन्य दशाओं में यदि निश्चित समय के आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति न हो, तो बैठक स्थगित हो जायेगी जिसे प्रबन्ध कमेटी पुनः शीघ्र बुलायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्षिक सामान्य बैठक की स्थगित बैठक कार्य सूची में दिये गये स्थान तथा समय पर स्थगित के सोलहवें दिन होगी।

(स) बैठक की राय से सभापति किसी बैठक को समय-समय पर स्थगित कर सकता है पर जब भी बैठक होगी तो उसी विषय पर विचार किया जायेगा जो बैठक स्थगित करने समय अधूरा रह गया था।

33-सभापति और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति सामान्य निकाय की समस्त बैठकों का सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में सामान्य निकाय द्वारा अपने सदस्यों में से चुना हुआ व्यक्ति उस बैठक का सभापतित्व करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक का सभापतित्व जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो, ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकेगा जो स्वयं किसी पद के लिये प्रत्याशी हो।

34-सामान्य निकाय के सदस्यों की बैठकों की सूचना लिखित नोटिस भेज कर अथवा समिति के कार्यक्षेत्र में दिहोरा पोटकर व किसी प्रमुख स्थान तथा समिति के कार्यालय पर नोटिस चिपका कर दी जायेगी, किन्तु नोटिस द्वारा सूचना भेजने में कोई त्रुटि रह जाने पर बैठकों की कार्यवाही केवल इसी आधार पर अवैध न होगी।

35-(अ) सामान्य निकाय के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा। अनुपस्थिति सदस्यों की किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सिवाय ऐसे विषयों के जिनके लिये अधिनियम तथा नियमों में विशिष्ट बहुमत की व्यवस्था की गई है, सभी विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के रूप में निश्चित किये जायेंगे। किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में बैठक के सभापति को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह विषय पदाधिकारियों के चुनाव का है तो सभापति अपना द्वितीय या निर्णायक मत नहीं देगा अपितु उसका निर्णय लाटरी डाल कर किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य को मतदान का अधिकार न होगा यदि—

(i) वह बाकीदार है और कम से कम छः मास की अवधि पर्यन्त बाकीदार रहा है, या

(ii) वह ऐसी बाकीदार समिति का, जैसा कि उपखंड (1) में निर्दिष्ट है, प्रतिनिधि है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनार्थ शब्द “बाकीदार” का तात्पर्य (1) ऐसे सदस्य से है (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या निर्गमित निकाय हो) जिसने सम्बद्ध समिति के किसी देय का भुगतान देय दिनांक को न किया हो, या

(2) ऐसे सदस्य सहकारी समिति से है जिसने देय दिनांक को कुल देयों का कम से कम 75 प्रतिशत का भुगतान न किया हो।

(ब) समिति के सचिव का कर्तव्य होगा कि वह सामान्य निकाय के ऐसे सदस्यों की सूची रखे जिन्हें बैठकों में मत देने का अधिकार हो। यह सूची प्रत्येक बैठक की नोटिस जारी करने के दिन तक पूर्ण कर ली जायेगी जो मांग करने पर सदस्यों को निःशुल्क दिखलाई जायेगी। यदि कोई सदस्य इस सूची की प्रति प्राप्त करना चाहे तो वह प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित शुल्क देकर प्राप्त कर सकेगा। ऐसी बैठक जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होना हो, की नोटिस जारी होने बाद (यदि नियमों में इसके प्रतिकूल व्यवस्था न हो) कोई व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

प्रबन्ध कमेटी

36-प्रबन्ध कमेटी में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

- (1) सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये 9 व्यक्ति जिनमें सभापति तथा उपसभापति भी सम्मिलित होंगे,
- (2) निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति,
- (3) वित्त पोषक संस्था, यदि हो, का नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति,
- (4) धारा 34 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य निर्वल वर्ग के होंगे। यदि समिति निर्दिष्ट संख्या में निर्वल वर्ग के सदस्यों का निर्वाचन न कर सके अथवा उनमें कोई रिक्ति हो जाय तो राज्य सरकार को उक्त पदों पर नाम निर्देशन करने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इन उपविधियों के प्रयोजन हेतु निर्वल वर्ग का तात्पर्य वही होगा जैसा नियम 393 में किये गये स्पष्टीकरण में उल्लिखित है।

37-(अ) प्रबन्ध कमेटी के चुने हुये सदस्यों का कार्यकाल तीन सहकारी वर्ष होगा जिसके अन्तर्गत उनके निर्वाचन का वर्ष भी है।

(ब) प्रबन्ध कमेटी के नाम निर्दिष्ट सदस्य नाम निर्देशन करने वाले प्राधिकारी के प्रसंग पर्यन्त पदासीन रहेंगे।

(स) प्रबन्ध कमेटी के अवकाश प्राप्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रबन्ध कमेटी का कोई भी चुनाव हुआ सदस्य दो लगातार पदावधियों से अधिक पदासीन नहीं रह सकेगा। ऐसा सदस्य तीन पूरे वर्ष तक लगातार पद से अलग रहने के उपरान्त पुनः चुने जाने का पात्र होगा। नियम 404 या 434 या 435 या धारा 25 की उपधारा

(3) के खंड (क) के अधीन धारित पदावधि पात्रता की अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

38—यदि प्रबन्ध कमेटी को किसी चुने सदस्य का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो, तो वह प्रबन्ध कमेटी के शेष सदस्यों द्वारा समिति के सदस्यों में से जो कमेटी की सदस्यता के लिये पात्र हो, शेष अवधि के लिये आमेलन द्वारा भरा जायेगा।

39—कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र न होगा, यदि—

(क) उसकी आयु 21 वर्ष से कम हो,

(ख) वह दीवालिया घोषित हो,

(ग) वह विकृत चित्त, बहरा और मूंगा या अंधा हो अथवा कोई से पीड़ित हो।

(घ) उसे पिछले पांच वर्ष की अवधि में निबन्धक की राय में नैतिक पतन सम्बन्धित अपराध के लिये बंड दिया गया हो और ऐसा बंड अपील में रद्द न किया गया हो।

(ङ) वह या निबन्धक की राय में उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र में उसी प्रकार का कारोबार करना शुरू करे या करता हो जैसा समिति करती हो,

(च) वह अधिनियम या नियमों अथवा इन उपविधियों के प्रतिकूल समिति के साथ या उसकी ओर से कोई व्यवहार या संविदा पद स्वीकार करे या धारण करता है। किन्तु यह प्रतिबन्ध उन व्यक्तियों पर लागू न होगा जो निबन्धक की पूर्ण अनुज्ञा से प्रतिकर भत्ता लेते हों,

(छ) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हों,

(ज) वह समिति के सामान्य निकाय का सदस्य न हो किन्तु यह अनर्हता किसी नाम निदिष्ट सदस्य पर लागू न होगी।

(झ) वह पर्याप्त कारण के बिना प्रबन्ध कमेटी की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, किन्तु यह अनर्हता नाम निदिष्ट सदस्यों पर लागू न होगी,

(ट) वह अधिनियम या नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया गया हो, तथा दोष सिद्धि के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत न हो गई हो,

(ठ) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरुद्ध किसी सहकारी समिति ने धारा 91 के अधीन आदेश प्राप्त कर लिया हो और उस आदेश की पूर्ति न हुई हो।

(ड) वह अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण या ऋणों के सम्बन्ध में समिति या किसी अन्य सहकारी समिति का कम से कम छः मास से बकायादार हो,

(ढ) वह सहकारी सेवा या किसी सहकारी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट, बुराचरण या अशुचिता करने के लिये पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो, किन्तु यह अनर्हता पदच्युत किये जाने के पांच वर्ष व्यतीत हो जाने पर लागू न होगी,

(डू) वह समिति के किसी वैतनिक कर्मचारी का निकट सम्बन्धी हों,

(ण) वह किसी ऐसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रार्थना-पत्र में सम्मिलित हो अथवा उसकी प्रबन्ध कमेटी का सदस्य रहा हो जो बाद में निबन्धक द्वारा धारा 72 को उन्धारा (2) के खंड (क) के अधीन इस आधार पर समाप्त कर दी गई हो कि समिति का निबन्धन कपट पूर्वक कराया गया और निबन्धक का ऐसा आदेश अपील में उत्कर्मित न किया गया हो,

(त) वह अधिनियम और नियम या इन उपविधियों के किसी उपबन्ध के अधीन अन्यथा अनर्ह हो।

40—(क) प्रबन्ध कमेटी को बैठकें कम से कम प्रतिमास समापित द्वारा निश्चित तिथियों पर होगी। आम तौर से प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि की सूचना एक सप्ताह पूर्व दे दी जायेगी। किसी कार्य को करने के लिये कम से कम 5 सदस्यों का होना आवश्यक है।

(ख) कोई भी सदस्य ऐसे विषय की बहस या वोट में भाग नहीं लेगा जिसमें उसका निजी स्वार्थ हो।

41—प्रबन्ध कमेटी के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य होंगे:—

(1) अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अधीन रहते हुये, कोषाध्यक्ष तथा अन्य वेतन पाने वाले अधिकारियों को नियुक्त करना,

(2) पूंजी एकत्र करना, जो वर्ष के लिये अधिकतम वायित्व को रकम से अधिक न होगी,

(3) प्रतिवर्ष समिति की वार्षिक सामान्य बैठक करके वार्षिक रिपोर्ट और जंचे गये आय-व्यय का लेखा तथा अन्य सामग्री, जो कि निबन्धक कहें, बैठक के सामने प्रस्तुत करना,

(4) समिति के जांचे गये आय-व्यय के लेखों को छपवाना,

- (5) इस सम्बन्ध में निबन्धक द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार समिति के वैतनिक तथा अर्थात्कर्मचारियों को नियुक्त तथा नौकरी से अलग करना और उसमें सभी या कुछ व्यक्तियों से आवश्यकता को देखते हुये जमानत।
- (6) उपविधि 12 के अनुसार अनर्ह किसी सदस्य को निकालना अथवा हटाना,
- (7) शिकायतों को सुनना तथा उन पर आवश्यक निर्णय करना,
- (8) जमा किये गये धन पर समय-समय पर सूद की दर निर्धारित करना,
- (9) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति लेकर केन्द्रीय सहकारी समिति के हिस्से खरीदना,
- (10) निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से समिति का खर्च चलाने के लिये सदस्यों पर चन्दे लगाना।
- (11) इन उपविधियों के अनुसार लाभांश देने और लाभ का निस्तारण करने के लिये सामान्य बैठक में प्रस्ताव रखना,
- (12) निबन्धक तथा पशु पालन विभाग के अन्य अधिकारियों की जांच की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अगली साधारण बैठक में उस पर प्रस्ताव रखना,
- (13) समिति या समिति का काम देखने वाले अधिकारियों के या उन पर किये गये दावों को किसी अधिकृत सदस्य या सदस्यों के द्वारा दावी के रूप में लड़ना, प्रतिवादी के रूप में लड़ना, समझौता करना या पंच निर्णय के लिये देना या उसे बिल्कुल छोड़ देना,
- (14) प्रस्ताव द्वारा अपने कुछ कर्तव्यों तथा अधिकारों को प्रबन्धक कमेटी के किसी सदस्य, सुपरवाइजरी कमेटी, किसी अन्य अधिकारी या सदस्य को देना,
- (15) नये सदस्यों को भर्ती करना, उन्हें हिस्से देना और सदस्यों का त्याग पत्र लेना,
- (16) कार्यालय का काम नियमित करना,
- (17) सचिव द्वारा किये गये या उसके द्वारा प्रस्तावित आकस्मिक व्यय की स्वीकृति देना,
- (18) समिति के लेखा की जांच करना और निबन्धक की स्वीकृति लेकर समिति का लेखा आवि रखने के लिये विशेष प्रकार के फार्म निर्धारित करना,

- (19) सदस्यों के हिस्सों के हस्तान्तरण प्रार्थना-पत्र पर विचार करना तथा उस पर आदेश जारी करना,
- (20) समिति के धन तथा कागजात को सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करना,
- (21) साधारण बैठक की स्वीकृति से समिति के काम चलाने के लिये नियम बनाना,
- (22) निबन्धक द्वारा लगाई गई आडिट फीस का भुगतान करना,
- (23) समिति के कार्य का निरीक्षण करना तथा कार्य चलाने के लिये निबन्धक की अनुमति लेकर अधिनियम तथा नियमों के आधार पर विनियम बनाना,
- (24) ऐसे अन्य कार्य करना जो अधिनियम या नियमों के अनुसार आरोपित किये गये हों, अथवा सामान्य निकाय द्वारा सौंपे गये हों,
- (25) समिति के कर्मचारियों के लिये भत्ता सम्बन्धी नियम (उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के अध्याय 27 के नियमों को दृष्टि में रखते हुये) बनाना।

सभापति उप सभापति

42--(क) समिति उपविधि 27 (2) (ख) की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक में प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों में से एक सभापति तथा एक उप सभापति का निर्वाचन करेगी। सभापति तथा उप सभापति का कार्य काल उपविधि (37) (अ) के अनुसार व्यवस्थित प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों के कार्य-काल के बराबर होगा।

(ख) सभापति अथवा उप सभापति के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होने पर सामान्य निकाय प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों में से किसी को शेष अवधि के लिये चुन सकती है, परन्तु जब तक सभापति के रिक्त स्थान की पूर्ति उपर्युक्त प्रकार से सामान्य निकाय नहीं कर लेती तब तक उप सभापति, सभापति के कर्तव्यों व अधिकारों को करेगा।

43--(क) सभापति समिति के मामलों तथा कार्यों के लिये नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा पथ प्रदर्शन के लिये उत्तरदायी होगा और ऐसे अधिकारों का प्रयोग और उस कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम, नियमों, इन उपविधियों तथा प्रबन्धक कमेटी के संकल्पों द्वारा प्रदत्त या आरोपित किये जायें। आकस्मिक परिस्थितियों में वह प्रबन्धक कमेटी के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रयोग में लाये गये अधिकार द्वारा किये गये कार्य को प्रबन्धक कमेटी की अगली बैठक में पुष्टि हेतु रखा जायेगा।

(ख) उपसभापति ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे सभापति द्वारा प्रबन्ध कमेटी की पूर्व अनुमति से लिखित रूप में दिये जायें।

(ग) सभापति तथा उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की समस्त बैठकों का (सिवाय नियमों अथवा इन उपविधियों में की गई अन्यथा व्यवस्था के) सभापतित्व करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी को उस बैठक का सभापतित्व करने के लिये चुना जायगा।

सचिव

44—अधिनियम की धारा 120 के उपबन्धों और धारा 121, 122 और 122 (क) के अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन रहते हुये प्रबन्ध कमेटी समिति का एक सचिव नियुक्त करेगी तथा उसकी उप-लघियों और सेवा की अन्य शर्तों को निर्धारित करेगी।

45—सचिव समिति का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा सभापति और प्रबन्ध कमेटी के नियंत्रण में रहते हुये निम्न अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा।

- (1) समिति के कार्य के सम्यक प्रबन्ध तथा कुशल प्रशासन के लिये उत्तरदायी होना,
- (2) समिति के प्राधिकृत और सामान्य कार्य करना,
- (3) इन उपविधियों के अधीन रहते हुये समिति का लेखों का परिपालन करना तथा यदि समिति में कोई खजांची न हो तो समिति की रोकड़ बाकी का प्रबन्ध करना तथा उसे अपनी अभिरक्षा में रखना,
- (4) समिति की ओर से और उसके लिये सभी लेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रमाणित करना,
- (5) समिति की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम तथा इन उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियतकालिक विवरण पत्रों और विवरणियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होना,
- (6) सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों को बुलाना तथा ऐसी बैठकों के ठीक अभिलेख रखना,

(7) ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम तथा नियमों की व्यवस्था के अनुसार सचिव पर आरोपित किये गये हों अथवा सभापति या प्रबन्ध कमेटी द्वारा सौंप जायें।

46—प्रबन्ध कमेटी आवश्यकतानुसार सचिव की सहायता के लिये अधिनियम तथा नियमों में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है तथा उसे या उन्हें सचिव के ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य सौंप सकती है जो वह उचित समझे।

कोषाध्यक्ष

47—कोषाध्यक्ष समिति द्वारा प्राप्त किये गये धन को सुरक्षित रखेगा और प्रबन्ध कमेटी, सचिव, सभापति या अन्य अधिकृत व्यक्ति के आदेश पर इसका निपटारा करेगा। वह रोकड़ बही और सदस्य की पास बुक (जिसे निबन्धक या प्रबन्ध कमेटी निर्धारित करें) पर इस आशय से हस्ताक्षर करेगा कि ठीक है और समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निबन्धक या पशु पालन विभाग के अन्य अधिकारियों के मांगने पर शेष रोकड़ दिखायेगा। आकस्मिक खर्चों को चाने के लिये समय-समय पर प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर वह नकद धन अपने पास रख सकता है। वह इस धन के लिये हर प्रकार से जिम्मेदार होगा।

लाभ वितरण

48—(क) समिति अपने वर्ष के शुद्ध लाभ में से—

- (1) ऐसी धनराशि जो 25 प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संकमित करेगी जो रक्षित कोष निधि कहलायेगी, और
- (2) कम से एक प्रतिशत किन्तु 2,500 रुपये से अधिक नियमों के अधीन और उनके अनुसार स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेगी,

(ख) उपरोक्त निधियों में संकमित अथवा जमा करने के उपरान्त जो धन शेष बचे उसमें से बाँटने योग्य लाभ निकालने के लिये निम्नलिखित छोड़ दिया जायेगा—

- (1) सभी ब्याज जो अतिदेय हो,
- (2) सभी अर्जित ब्याज जो ऐसे सदस्यों को देय हो जिनसे ब्याज अतिदेय हो,
- (3) ऐसी उधार विक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा।

(ग) उपरोक्त रीति से निकाले गये वितरण योग्य लाभ को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियमों द्वारा नियत हों, निम्नलिखित सभी या किसी प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा सकता है :

- (1) सदस्यों को उनकी वत्त पूंजी पर 9 प्रतिशत अनधिक दर से लाभांश का भुगतान।
- (2) सदस्यों के व्यापार की जो उन्होंने समिति के साथ किया हो, राशि या भावा पर, वितरण योग्य लाभ के अंश से अधिक बोनस का भुगतान,
- (3) अशोध्य ऋण निधि, भवन निधि, राष्ट्रीय रक्षा निधि, अंश संकलन निधि, ग्राम सुधार निधि, विकास निधि, लाभांश समीकरण निधि या किसी अन्य निधि का, जो सामान्य निकाय आवश्यक समझे, संगठन या उसमें अंशदान,
- (4) चैरिटेबिल एनडाउमेन्ट ऐक्ट, 1890, की धारा 2-क में यथा परिभाषित किसी (Charitable purpose) पूर्ति प्रयोजन के लिये-5 प्रतिशत अनधिक धनराशि का दान,
- (5) सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित रीति तथा सीमा तक कर्म-चारियों को बोनस का भुगतान, और
- (6) आगामी वर्ष के लाभ में अग्रे ले जाना।

49--समिति की रक्षित निधि तथा अन्य निधियां अधिनियम की धारा 59 तथा नियम 173 में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार विनियोजित अथवा जमा की जायेगी।

सामान्य उपविधियां

50--रक्षित निधि बांटी नहीं जा सकती और कोई सदस्य उसमें हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होगा।

51 (क)--समिति के समापन की वशा में, समिति की रक्षित निधि और अन्य निधियों का प्रयोग सब से पहले नियम 171 में निर्दिष्ट पूर्वता के आधार पर समिति के दायित्वों का उन्मोचन करने के लिये उसके बाद वत्त अंश पूंजी का प्रतिदान करने के लिये, और तत्पश्चात् यदि किसी अर्थाधिक के लिये लाभ से लाभांश का भुगतान न किया गया हो तो ऐसी अर्थाधिक के लिये नौ (9) प्रतिशत से अर्थाधिक दर पर लाभांश का भुगतान करने के लिये किया जायेगा।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित भुगतान करने के पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष रह जाय तो उसका प्रयोग ऐसे दान के प्रयोजनों (Charitable purposes) और राष्ट्रीय रक्षा निधि या लोक उपयोगिता के स्थानीय उद्देश्यों में अंशदान देने

में लिये किया जायेगा जिसे प्रबन्ध कमेटी चुने और जिसका निबन्धक महोदय अनुमोदन करे। यदि प्रबन्ध कमेटी निबन्धक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर किसी ऐसे उद्देश्य को न चुन सके जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो तो निबन्धक प्रतिरिक्त निधि का प्रयोग या तो राष्ट्रीय रक्षा निधि में अथवा नियम 138 में प्रतिरिक्त सहकारी शिक्षा निधि में अंशदान देने के लिये कर सकता है।

52--समिति द्वारा सम्पादित कार्यवाही अभिलिखित करने के लिये ऐसे प्रपत्र पर जिसे निबन्धक समय-समय पर निर्दिष्ट करें निम्नलिखित लेखा पुस्तकें तथा रजिस्टर रखे जायेंगे:--

- (1) समिति की सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध कमेटी की बैठकों की कार्यवाहियां अभिलिखित करने के लिये कार्यवृत्त पंजी,
- (2) समिति की सदस्यता के लिये प्रार्थना-पत्र का रजिस्टर जिसमें प्रार्थी का नाम और पता, प्रार्थित अंशों की संख्या तथा अस्वीकृति की वशा में प्रार्थी को, सदस्यता की अस्वीकृति का निर्णय संसूचित करने का का दिनांक दिया होगा,
- (3) सदस्यों का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम और पता, सदस्य होने का दिनांक, लिये गये अंश तथा ऐसे अंशों की धनराशि के भुगतान का दिनांक सदस्यता समाप्त होने का दिनांक तथा समाप्ति के कारण दिखाये जायें,
- (4) नाम निर्देशनों का रजिस्टर (जो नियम 77 के अनुसार सदस्यों द्वारा दिये गये, हों)
- (5) सदस्यों के प्रतिनिधियों का रजिस्टर, यदि समिति के सामान्य निकाय का गठन सदस्यों के प्रतिनिधियों से हुआ हो,
- (6) रोकड़बही जिसमें दैनिक प्राप्तियां और व्यय तथा अन्त में प्रतिदिन की शेष धनराशि दिखाई जायेगी,
- (7) रसीद बही,
- (8) प्रत्येक सदस्य के लिये खाता बही,
- (9) प्रसाधक (बाउचर) पत्रावली जिसमें समिति द्वारा किये गये व्यय के लिये समस्त प्रसाधक (बाउचर) क्रमवार संख्यांकित तथा कालानुसार नत्थी किये जायेंगे।
- (10) सामान्य खाता बही जिसमें दिन प्रतिदिन विभिन्न शीर्षकों (भवों) के अधीन प्राप्तियां तथा भुगतान और अदस्त धनराशियां दिखाई जायेंगी,

(11) अधिकारियों और पदाधिकारियों की, जिसके अन्तर्गत प्रति-निधि भी है, नियुक्ति का रजिस्टर,

(12) निरीक्षण पुस्तिका,

(13) ऐसे अन्य रजिस्टर और पुस्तकें जो निबन्धक समय-समय पर निदिष्ट करें अथवा नियमों की व्यवस्था या समिति के कार्य के अनुसार आवश्यक हों।

53---समिति का लेखा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जांचा जायेगा।

54---उपविधि 51 में दी हुई व्यवस्था के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी किसी व्यक्ति द्वारा, जो इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया हो, समिति का लेखा जांच करा सकता है।

55---अधिनियम की धारा 70 में उल्लिखित पक्षों के बीच समिति के संगठन प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में समिति के वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बद्ध विवाद से भिन्न, समस्त विवाद अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही के लिये निबन्धक को अग्रिमदिष्ट किये जायेंगे और निर्णित होंगे।

56---उपविधियों में संशोधन करने के प्रयोजन के लिये बुलाई गई किसी सामान्य बैठक में उपस्थित कम से कम दो तिहाई सदस्यों के मत से पारित संकल्प द्वारा किसी उपविधि में संशोधन किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिमान, उपविधियों या संशोधन अथवा ऐसे संशोधन जिन्हें करने के लिये निबन्धक धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षा करें, केवल साधारण बहुमत द्वारा अंगीकृत किये जा सकते हैं।

57---(क) उपविधियों में संशोधन करने के निमित्त सामान्य बैठक बुलाने के लिये सदस्यों को नियम 25 के अनुसार नोटिस दी जायगी।

(ख) ऐसी बैठक के लिये सामान्य निकाय के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई की गणपूर्ति अपेक्षित होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी बैठक में अपेक्षित गणपूर्ति न हो सके तो निबन्धक समिति को यह निर्देश दे सकता है कि यह दूसरी बैठक बुलाये जिसमें अपेक्षित गणपूर्ति कम करके 1/5 कर दी जायगी जिसकी लिखित सूचना सदस्यों को भेजी जायेगी,

प्रतिबन्ध यह है कि निबन्धक द्वारा पहले से ही अनुमोदित प्रतिमान (माडेल) उपविधियों या संशोधनों के अंगीकार किये जाने की दशा में अथवा निबन्धक द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन यह निर्देश दिये जाने पर कि उसे समिति द्वारा अंगीकार किया जाय तो अपेक्षित गणपूर्ति को उस दशा में जब बैठक 1/5 की कम की गई गणपूर्ति के अभाव में न हो, 1/7 तक और कम करने की निबन्धक द्वारा अनुज्ञा दी जा सकती है। यह तथ्य कि बैठक 1/7 की और कम की गई गणपूर्ति से होगी, ऐसी बैठक की कार्य-सूची की नोटिस में उल्लिखित किया जायगा।

निर्वाचन विनियम

58---प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का निर्वाचन उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम नियमावली तथा निबन्धक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किया जायगा।